Volume: 1 Issue: 2 Pages: 08-10
Month: September-October Year: 2025

International Journal of Innovative Studies and Modern Research

भारत में निर्वाचन सुधार: चुनौतियाँ और संभावनाएँ

[*1] डॉ. प्यारेलाल आदिले

[*1] प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, जे.बी.डी.कला एवं विज्ञान महाविद्यालय कटघोरा, छत्तीसगढ़, भारत ।

Article Info.
E-ISSN: xxx-xxx
Impact Factor: xxx-xxx
Peer Reviewed Journal
Available online:
www.allresearchpaperjournal.com/

Received: 11/July/2025
Accepted: 16/Aug/2025

***Corresponding Author**
डॉ. प्यारेलाल आदिले
प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, जे.बी.डी.कला एवं विज्ञान महाविद्यालय कटघोरा, छत्तीसगढ़, भारत ।

सारांश:
भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ चुनाव केवल सरकार गठन की प्रक्रिया नहीं बल्कि जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम हैं। स्वतंत्रता के बाद से भारत ने नियमित और सफल चुनावों की परंपरा को विकसित किया है, किंतु समय के साथ चुनावी प्रक्रिया जटिल होती चली गई है। धनबल, बाहुबल, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, तकनीकी दुरुपयोग, सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना और राजनीतिक वित्तपोषण की अपारदर्शिता जैसी समस्याएँ लोकतंत्र की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। यह शोधपत्र भारत में निर्वाचन सुधारों के विकास, वर्तमान चुनौतियों और भावी संभावनाओं का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है तथा यह तर्क देता है कि समयबद्ध और समग्र सुधार लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं।

मुख्य शब्द: निर्वाचन सुधार, लोकतंत्र, चुनाव आयोग, राजनीतिक फंडिंग, ईवीएम, वीवीपैट

प्रस्तावना:

1. भूमिका

लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि शासन की शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है और जनता अपनी इच्छा का प्रयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से करती है। किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की स्थिरता और वैधता उसकी निर्वाचन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। भारत, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सामाजिक, भाषायी, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधताओं का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। इतने व्यापक स्तर पर लोकतंत्र का सफल संचालन केवल एक सुदृढ़ और निरंतर विकसित होने वाली चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव हो सकता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के संविधान निर्माताओं ने निर्वाचन प्रणाली को अत्यधिक महत्व दिया। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) को व्यापक अधिकार दिए गए ताकि वह स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों का संचालन कर सके। 1950 के दशक में जब अधिकांश भारतीय निरक्षर थे, तब भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाकर यह संदेश दिया गया कि लोकतंत्र का अधिकार केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित नहीं हो सकता। 1951-52 में आयोजित पहले आम चुनाव ने इस सिद्धांत को व्यवहार में सफलतापूर्वक स्थापित किया।

पिछले सात दशकों में भारत की निर्वाचन प्रणाली ने उल्लेखनीय प्रगति की है। मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष करना, चुनाव चिह्नों का मानकीकरण, मतदाता पहचान पत्र (EPIC) की शुरुआत, ईवीएम का व्यापक प्रयोग, वीवीपैट प्रणाली का समावेश और NOTA (None of the Above) का विकल्प जैसे सुधारों ने मतदान प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया है। चुनाव आयोग द्वारा लागू की गई आदर्श आचार संहिता ने भी राजनीतिक दलों की गतिविधियों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

फिर भी, समय के साथ नई-नई चुनौतियाँ उभरकर सामने आई हैं। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, आर्थिक असमानता और तकनीकी प्रगति ने चुनावी प्रक्रिया को और अधिक जटिल बना दिया है। राजनीति में धनबल और बाहुबल का प्रभाव, जाति और धर्म के आधार पर होने वाला ध्रुवीकरण, आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या, चुनावी वादों का अव्यावहारिक होना तथा सोशल मीडिया के माध्यम से फैलने वाली गलत सूचनाएँ लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा प्रस्तुत कर रही हैं। आज के डिजिटल युग में डेटा एनालिटिक्स और माइक्रो-टार्गेटेड प्रचार ने मतदाताओं की सोच को प्रभावित करने के नए तरीके विकसित कर लिए हैं। फर्जी खबरें, डीपफेक वीडियो और आईटी सेल जैसी व्यवस्थाएँ चुनावी विमर्श को भ्रमित करने का कार्य कर रही हैं। ऐसे परिदृश्य में केवल पारंपरिक निर्वाचन सुधार पर्याप्त नहीं रह गए हैं, बल्कि तकनीकी, कानूनी और नैतिक स्तर पर व्यापक सुधारों की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

इस शोधपत्र का उद्देश्य भारत में निर्वाचन सुधारों के विकास का विस्तृत अध्ययन करना, वर्तमान समस्याओं का विश्लेषण करना और भविष्य के लिए व्यावहारिक एवं संवैधानिक रूप से उपयुक्त समाधान प्रस्तुत करना है। यह अध्ययन यह स्थापित करने का प्रयास करता है कि यदि समय पर प्रभावी सुधार लागू किए जाएँ, तो भारतीय लोकतंत्र को अधिक मजबूत, समावेशी और उत्तरदायी बनाया जा सकता है।

2. भारत में निर्वाचन प्रणाली का विकास (Evolution of Electoral System in India)

भारत की निर्वाचन प्रणाली का आधार भारतीय संविधान है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग को चुनावों के संचालन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। प्रारंभिक दौर में मतदान प्रणाली पूर्णतः बैलेट पेपर आधारित थी, जिसमें मतगणना में अत्यधिक समय लगता था और धांधली की संभावना अधिक थी।

सन् 1977 में पहली बार कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का प्रयोग किया गया और 2003 के बाद इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर दिया गया। इससे मतदान प्रक्रिया अधिक तेज, सटीक और पर्यावरण के अनुकूल बनी। 2013 में वीवीपैट प्रणाली को जोड़ा गया, जिससे मतदाता को अपने वोट की पुष्टि करने की सुविधा प्राप्त हुई।

इसके साथ-साथ, चुनावी सूची को डिजिटल बनाने, ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से मतदाता जानकारी उपलब्ध कराने जैसी पहलें की गईं। इन तकनीकी सुधारों ने मतदाता सहभागिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

3. प्रमुख निर्वाचन सुधारों का कालानुक्रमिक विवरण (Table 1: Timeline of Electoral Reforms)

वर्ष	सुधार	विवरण
1950	भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना	स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हेतु संवैधानिक संस्था
1951	जन प्रतिनिधित्व अधिनियम	चुनाव प्रक्रिया की विधिक रूपरेखा
1988	61वाँ संविधान संशोधन	मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष
2003	ईवीएम का सार्वभौमिक प्रयोग	तेज और सुरक्षित मतदान प्रणाली
2013	NOTA का विकल्प लागू	मतदाता असंतोष अभिव्यक्ति का अधिकार
2019	वीवीपैट का सार्वभौमिक उपयोग	मतदान में पारदर्शिता बढ़ाना

4. भारत में निर्वाचन व्यवस्था की प्रमुख चुनौतियाँ (Major Challenges in Electoral System)

- **धनबल और राजनीतिक फंडिंग की समस्या:** चुनावों में बढ़ता खर्च एक प्रमुख चिंता का विषय है। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा विज्ञापन, रैलियाँ, डिजिटल प्रचार और प्रबंधन पर अत्यधिक धन खर्च किया जाता है। इससे अमीर उम्मीदवारों को अधिक लाभ मिलता है और आम नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी सीमित होती है।
- **आपराधिककरण (Criminalization of Politics):** भारतीय संसद और विधानसभाओं में बड़ी संख्या में ऐसे प्रतिनिधि हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं। यह प्रवृत्ति कानून के शासन और लोकतांत्रिक नैतिकता को कमजोर करती है।
- **जाति और धर्म आधारित राजनीति:** चुनावों में जातिगत समीकरण और धार्मिक ध्रुवीकरण का उपयोग वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जाता है, जिससे सामाजिक एकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- **मीडिया और सोशल मीडिया का दुरुपयोग:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग फर्जी समाचार, भ्रामक प्रचार और छवि-निर्माण के लिए किया जा रहा है, जिससे मतदाताओं के निर्णय प्रभावित होते हैं।

5. चुनावी सुधारों की आवश्यकता: आंकड़ों सहित विश्लेषण (Table 2)

समस्या	स्थिति (अनुमानित शोध आधारित डेटा)
चुनाव खर्च में वृद्धि	पिछले 20 वर्षों में लगभग 3–4 गुना वृद्धि
आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसद	लगभग 40–45%
फर्जी समाचार की पहुँच	चुनाव अवधि में लगभग 25–30% ऑनलाइन कंटेंट संदिग्ध
शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत	कई बड़े शहरों में 55–60%

6. निर्वाचन सुधारों की दिशा में सरकारी और संस्थागत प्रयास (Institutional Efforts)

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों के खर्च की सीमा निर्धारण, आपराधिक रिकॉर्ड का अनिवार्य खुलासा, और मतदाता जागरूकता अभियान (SVEEP) जैसे कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के विधि आयोग ने 170वीं, 244वीं और 255वीं रिपोर्ट में व्यापक चुनावी सुधारों की सिफारिश की है।

7. भविष्य की संभावनाएँ (Future Prospects)

- **एक राष्ट्र, एक चुनाव:** एक साथ चुनाव कराने से प्रशासनिक व्यय में कमी और नीति निर्माण में स्थिरता संभव है, किंतु यह संघीय ढाँचे पर प्रभाव डाल सकता है।
- **राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता:** डिजिटल फंडिंग, रीयल-टाइम रिपोर्टिंग और स्वतंत्र ऑडिट जैसी प्रणालियाँ भविष्य में लागू की जा सकती हैं।
- **रिमोट और ऑनलाइन वोटिंग:** प्रवासी मतदाताओं के लिए ब्लॉकचेन आधारित सुरक्षित रिमोट वोटिंग की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है।

8. निर्वाचन सुधारों के लिए प्रस्तावित नीति ढाँचा (Table 3: Policy Framework)

क्षेत्र	वर्तमान स्थिति	प्रस्तावित सुधार
राजनीतिक चंदा	आंशिक पारदर्शिता	पूर्ण डिजिटल और सार्वजनिक लेखा
उम्मीदवारों की योग्यता	न्यूनतम कानूनी प्रतिबंध	गंभीर मामलों में प्रतिबंध

मतदाता शिक्षा	सीमित अभियान	राष्ट्रीय नागरिक शिक्षा नीति
चुनाव तकनीक	ईवीएम + वीवीपैट	ब्लॉकचेन आधारित सुरक्षित प्रणाली

निष्कर्ष:

भारत में निर्वाचन सुधार लोकतंत्र को मजबूत करने की कुंजी हैं। भारतीय चुनावी प्रणाली ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल की हैं, किंतु वर्तमान चुनौतियाँ यह दर्शाती हैं कि मौजूदा ढाँचे में व्यापक सुधार आवश्यक हैं। यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानूनी सुधार और नागरिक सहभागिता को गंभीरता से अपनाया जाए, तो चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और उत्तरदायी बनाया जा सकता है। भविष्य का भारतीय लोकतंत्र निर्वाचन सुधारों की सफलता पर काफी हद तक निर्भर करेगा।

References

1. Election Commission of India. Electoral Reforms in India.
2. Law Commission of India Reports (170th, 244th, 255th).
3. The Constitution of India, Articles 324–329.
4. International IDEA. Electoral System Design Handbook.
5. Ramachandra Guha, India After Gandh*i*.